

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 1999/कार्तिक 20, 1921

No. 673 ]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1999/KARTIKA 20, 1921

# विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1999

का.आ. 1087 (अ). — केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रशासन और उस निधि से संबंधित अलग खाते और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसे प्ररूप में बनाए रखने के लिए जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं, एक सिमिति गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

#### सर्व श्री—

44 AI—			
	1.	टी.एस. कृष्णा मूर्ति, सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	अध्यक्ष
	2.	सुश्री सुचेता दलाल, मुम्बई	सदस्य
	3.	एन.एस. चोपड़ा, सदस्य	सदस्य
		आई टी ए टी (सेवानिवृत्त), नई दिल्ली	
	4.	के.बी. ढाबके, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, मुम्बई	सदस्य
	5.	एस. नन्दगोपाल, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, चैन्नई	सदस्य
	6.	मनुभाई शाह, प्रबन्ध न्यासी	सदस्य
		कन्ज्यूमर एज्केशन एण्ड रिसर्च सैंटर, अहमदाबाद	
	7.	ए.के. नारायण, प्रेसीडेंट, तमिलनाडु इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, चैन्नई	सदस्य
	8.	एम. डी. दासारी, महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बेँक	सदस्य
	9.	अशोक कक्कड़, कार्यपालक निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	सदस्य
	10.	उदय भास्कर नायर, नागपुर	सदस्य
	11.	एच. राजा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, कराएकुंडी, तमिलनाडु	सदस्य

2. समिति के सदस्य उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे।

[फा. सं. 1/15/99-सी.एल. V] आर.डी. जोशी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

### (Department of Company Affairs)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November 1999

S.O. 1087 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes a Committee consisting of the following persons to administer the Investor Education and Protection Fund and to maintain separate accounts and other relevant records in relation to that Fund in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, namely:—

#### S/Shri

1.	T.S. Krishna Murthy, Secretary, Department of Company Affairs	Chairman
2.	Ms. Sucheta Dalal, Mumbai	-Member
3.	N.S. Chopra, Member 1TAT (Retd.), New Delhi	Member
4.	K.B. Dabke, Chartered Accountant, Mumbai	Member
5.	S. Nandagopal, Chartered Accountant, Chennai	-Member
6.	Manubhai Shah, Managing Trustee, Consumer Education and Research Centre,	Member
	Ahmedabad	
7.	A.K. Narayan, President, Tamil Nadu Investors Association, Chennai	Member
8.	M.D. Dasari, General Manager, Reserve Bank of India	-Member
9.	Ashok Kackar, Executive Director, Securities and Exchange Board of India	Member
10.	Shri Udaya Bhaskar Nair, Nagpur	Member
11.	Shri H. Raja, Chartered Accountant, Karaikudy, Tamil Nadu.	Member

2. The Members of the Committee shall hold office for a period of two years with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 1/15/99-C.L.V.]R.D. JOSHI, Jt. Secy.